



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ 1948 (श10)
(सं0 पटना 552) पटना, शुक्रवार, 29 मई 2026

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
27 मई 2026

सं० जी/विविध-20-21/2026-5699—चूँकि बिहार राज्यपाल को समाधान हो गया है कि लोक व्यवस्था बनाये रखने और विध्वंसक कार्यों को रोकने तथा दबाने के प्रयोजनार्थ निम्न अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में अनधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने हेतु विशेष प्रावधान अधिसूचित किया जाना आवश्यक एवं समीचीन है;

इसलिए, अब, बिहार संरक्षित स्थान अधिनियम, 1979 (बिहार अधिनियम 1, 1979) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के RCP Cum SV स्टेशन खैरा एवं RCP Cum SV स्टेशन ढोरसाकोला, चकाई, जिला-जमुई, बिहार, जिसका विवरण निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित है, को तुरंत प्रभाव से संरक्षित स्थान घोषित करते हैं।

अनुसूची

क्र०	जिला	अंचल	हल्का	मौजा/थाना	थाना नं०	खाला	खैरा	रकबा	चौहद्दी
1	जमुई	खैरा	खैरा	पूरना खैरा/खैरा	78	405	382	17.83 ई०	उ०- नारायण यादव द०- सड़क पू०- शांति यादव प०- सीमान काशमीर
			गोपालपुर	काशमीर/खैरा	75	89	336	10 ई०	उ०- शांति यादव द०- शंकर यादव पू०- सीमान मौजा खैरा प०- हिस्सेदार खैरा सं० 336

क्र०	जिला	अंचल	हल्का	मौजा/थाना	थाना नं०	खाता	खसरा	रकबा	चौहद्दी
2	जमुई	चकाई	बामदह	ढोरसाकोल/चकाई	24/23	71	694	30 डी०	उ०— नीज नम्बर हाजा द०— पक्की सड़क पू०— नीज नम्बर हाजा प०— नीज नम्बर हाजा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
क्षत्रनील सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

27 मई 2026

सं० जी/विविध-20-21/2026-5699 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा पारित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
क्षत्रनील सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

The 27th May 2026

No. जी/विविध-20-21/2026-5699— Whereas the Governor of Bihar is satisfied that it is necessary and expedient to notify special provision to prevent entry of unauthorized person/persons into the areas mentioned in the schedule below for the purpose of maintaining public order and preventing and suppressing destructive acts;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Subsection-(i) of Section-3 of **Bihar Protected Places Act, 1979 (Bihar Act 1, 1979)**, the Governor of Bihar is pleased to declare RCP Cum SV Station, Khaira and RCP Cum SV Station, Dhorsakola of Indian Oil Corporation Limited, Chakai, District-Jamui, Bihar as **Protected Place** with immediate effect, description of which are mentioned in the following Schedule:-

Schedule

S.L. No.	District	Anchal	Halka	Mauja/Thana	Thana No.	Khata No.	Plot No.	Area (In Acre)	Boundary
1	Jamui	Khaira	Khaira	Purna Khaira/ Khaira	78	405	382	17.83Dec	N-Narayan Yadav S-Road E-Shanti Yadav W-Seeman Kashmir
			Gopalpur	Kashmir/ Khaira	75	89	336	10 Dec	N- Shanti Yadav S-Shankar Yadav E-Seeman Mauja Khaira W-Shareholder Plot No. 336

S.L. No.	District	Anchal	Halka	Mauja/ Thana	Thana No.	Khata No.	Plot No.	Area (In Acre)	Boundary
2	Jamui	Chakai	Bamdah	Dhorsakola/ Chakai	24/23	71	694	30 Dec	N-Neez No. Haza S-Road E-Neez No. Haza W- Neez No. Haza

By order of the Governor of Bihar,
KSHATRANIL SINGH,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 552-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>